

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 26.10.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला चूरु हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेह समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. श्री ओमप्रकाश सारस्वत/श्री नत्थूराम  
सारस्वत, वार्ड नं. 22, धर्म स्तूप के पास, चूरु अध्यक्ष
2. श्री भंवर सिंह सामोर, वार्ड 24, गांधी कॉलोनी, चूरु सदस्य
3. श्री गणेश मंडावरिया,  
वार्ड 34, श्याम मंदिर के पीछे, सुजानगढ, जिला चूरु सदस्य
4. श्रीमति विमला गढवाल, नि. नई सडक, चूरु सदस्य
5. अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सदस्य-सचिव

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग को आदेश क्रमांक प. 18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से

//

(कैलाश चन्द गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मान0 गृहमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु।
7. पुलिस अधीक्षक, चूरु को प्रेषित कर लेख है। कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस